प्रेषक,

अधिषासी अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री पी0एल0शर्मा,
डायरेक्टर–बुलन्द हाउसिंग प्रा0लि0,
निवासी : लायर्स कालोनी,
आगरा।

पत्रांक : 102/बीएफटी/06/14–15 **दिनांक: 11 / 9 /2014**

विषयः मौजा–कलाल खेड़िया, आगरा के खसरा सं0 145 पर प्रस्तुत तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत खसरे की भूमि पर आपके द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 09.09.2014 द्वारा निम्न शर्त/प्रतिबंध के अधीन औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है–

(1) भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद–विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) विद्युत विभाग की अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किया जायेगा।

(3) विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति प्रमाणपत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं पक्ष द्वारा इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(4) आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर भवन उपविधि–2008 के अनुसार वृक्षारोपण करना होगा तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करनी होगी।

(5) आवेदक द्वारा कालोनी के समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा–विद्युत, पेयजल, सड़क, नाली, पार्क, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डलाबघर, सीवर, वृक्षारोपण आदि कार्य मानक के अनुसार स्वयं करने होंगे।

(6) आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार रोड वाइडनिंग हेतु भूमि को निःशुल्क प्राधिकरण को हस्तान्तरित करनी होगी तथा इसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दावा आदि मान्य नहीं होगा।

(7) भविष्य में किसी अन्य विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने पर आवेदक को उसे प्राप्त कर प्राधिकरण में उपलब्ध कराना होगा।

.......2

(8) आन्तरिक विकास हेतु आंगणित धनराशि के 50 प्रतिशत के समतुल्य भूखण्ड बंधक रखने होंगे।

(9) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख धरोहर राशि मानचित्र निर्गत से पूर्व जमा करानी होगी।

(10) मा0उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 61669/2010 में दिनांक 23.05.2014 को पारित आदेशों के क्रम में निरीक्षण शुल्क रू0 2,59,721.00 हेतु प्रस्तुत क्षतिपूर्ति बंध–पत्र तथा शपथ–पत्र के अनुसार देय शुल्क माँगे जाने पर नियमानुसार प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

अतः बाह्य विकास शुल्क रू0 94,89,046.00, शेल्टर फीस रू0 21,25,500.00 एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना हेतु धरोहर राशि रू0 10,00,000.00 प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा करायें तथा एक सप्ताह के अन्दर उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर अनुबंध निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Helan 11/9/14

अधिशासी अभियंता(भवन)